

15324

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीयण
ऐव विपक्षीयण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं। विपक्षीयण
को कितनी बार कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद
की उपस्थित नहीं। इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही लिये जाने
का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी ने प्रा-पत्र 09 R 9
द्वारा 151 भा. सी. पर बहस करना चाही। बहस सुनी गयी,
बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रा-पत्र को स्वीकार लिये
जाने की इस्तुथा की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी
की बहस पर मनन किया। न्यायहित में वकील प्रार्थी
का प्रा-पत्र 09 R 9 व संपत्ति धारा 151 भा. सी. स्वीकार
किया जाता है। तथा प्रा-पत्र दिनांक 16.2.2018 को अदम
हाजरी। अदम परेवी में स्वारीज किया उसके पुनः नम्बर
पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैल
शुमार लेकर मूल प्रा-पत्र के साथ संलग्न हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

